न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 2021/282 (जीसीएमएस)

1 मानसिंह पुत्र पालसिंह जाति रायसिख साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगगानगर।

2 शिछपाल सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति रायसिख साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

3 किरण देवी पुत्री पाल सिंह जाति रायसिख साकिन साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगगानगर।

4 कौशल्या देवी पत्नी पाल सिंह जाति रायसिख साकिन साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

5 विजयपाल पुत्र पाल सिंह जाति रायसिख साकिन साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

6 सुनीता पुत्री पालसिंह पत्नी गंगासिंह जाति रायसिख साकिन 7 डीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र सोनासिंह जाति रायसिख साकिन 24 आरजेडी तहसील रावला जिला श्रीगगानगर।
2. सरजीत कौर पुत्री सोनासिंह पत्नी बलवन्त सिंह जाति रायसिख साकिन 3 पीएसडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावला जिला श्रीगंगानगर राज.।

....अप्रार्थीगण

उपस्थित: 1. श्री मदन ज्याणी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री श्रवण विश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 1
3. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02.08.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों के नाम से तहसील रावला के चक 24 आरजेडी के प.नं. 219/27 मु.नं. 35 के किला नं. 13 ता 25 की कुल 3.162 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के नाम से तहसील रावला के चक 24 आरजेडी के प.नं. 219/27 मु.नं. 35 के किला नं. 1 ता 13 की कुल 3.163 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

सोनासिंह के नाम से तहसील रावला के वक 24 आरजेडी के प.नं. 219/35 मु.नं. 34 के किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19 ता 22 की कुल 3.036 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सोनासिंह का देहान्त हो चुका है। सोनासिंह के देहान्त के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसके विधिक वारिसान है लेकिन वारिसान के नाम अभी विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को उनकी उक्त भूमि में आने जाने के लिये वर्तमान में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। चूंकि प.नं. 219/35 मु.नं. 34 के किला नं. 23 ता 25 में दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है जो किला नं. 23 में आकर बन्द हो जाता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त किला नं. 23 से आगे किला नं. 22 व 21 की भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से है, उसमें यदि दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीगण आसानी से मु.नं. 219/35 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता का उपयोग करते हुए अपनी उपरोक्त वर्णित मु.नं. 219/27 की कृषि भूमि में आसानी से आ जा सकेंगे। उक्त मु.नं. 219/35 के किला नं. 21 व 22 में रास्ता स्वीकृत करने के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम की भूमि मु.नं. 219/35 के किला नं. 22 व 21 में दो – दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि में रासता स्वीकृत करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इसलिये प.नं. 219/35 के किला नं. 21 व 22 में 2-2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। अप्रार्थी संख्या 3 को भू-धारक होने के कारण बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु तहसील रावला के वक 24 आरजेडी के प.नं. 219/35 मु.नं. 34 के किला नं. 21 व 22 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने व नियमानुसार चालू करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम से एवं उसके परिवार के नाम से एवं प्रार्थी संख्या 2 के नाम भूमि होना रिकॉर्डेड है। परन्तु प्रार्थी संख्या 1 के परिवार के सदस्यों मे नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है जबकि वे खातेदार कृषक है, उक्त रकबा संयुक्त भूमि है एवं संयुक्त खातेदार किरणदेवी,

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कौशल्यादेवी, विजयपाल, सुनिता उक्त रकबा संयुक्त खाते की भूमि है एवं प्रार्थी संख्या 1 की कौन कौन सी भूमि है, यह तय नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है क्योंकि संयुक्त खातेदारी को कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है इससे यह प्रमाणित होता है कि अन्य रास्ते का विकल्प है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन सोनासिंह की कृषि भूमि रिकॉर्डेड है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है। प्रार्थी वर्षो से अपनी भूमि को काश्त कर रहा है और वर्षो से रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है इसलिए प्रार्थी को अन्य रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान व तंग करने की गर्ज से उक्त औचित्यहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है प्रार्थी ने कभी भी कोई आग्रह अप्रार्थी संख्या 1 से किया ही नहीं प्रार्थी ने झूठे व मनगढंत तथ्य ब्यान किये हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कतई स्वीकार नहीं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है, भू धारक आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र ना तो पूर्ण कोर्ट फीस पर है और ना ही माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। इसके अतिरिक्त कथन किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में जिस कृषि भूमि के लिए मु0नं0 219/27 के किला नं0 13 ता 25 की 3.162 हैक्टेयर में रास्ता की आवश्यकता बताई गई है उक्त रकबा संयुक्त खाता में है जो कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत तथ्य है एवं रिकॉर्डेड है एवं उक्त रकबा के उसी काश्तकारान द्वारा रास्ता की मांग नहीं की गई सिसे यह साबित होता है कि सभी काश्तकारान को रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अगर उक्त रकबा के लिए वास्तव में रास्ता की आवश्यकता है तो सर्वप्रथम सभी संयुक्त काश्तकारों को अपना खाता विभाजन करवाना चाहिये था एवं फिर उसी खाता अनुसार रास्ता की मांग करनी चाहिये थी ताकि सभी काश्तकारान को रास्ता मिल सके या फिर सभी काश्तकारान द्वारा रास्ते की मांग करनी चाहिये थी ताकि भविष्य में सभी सहकाश्तकारों को रास्ते की समस्या पुनः न आये। अगर प्रार्थीगण की ईच्छा से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्त रास्ता सभी सहकाश्तकारों को नहीं मिल पायेगा एवं अन्य सह काश्तकार पुनः रास्ता की मांग करेंगे एवं इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 जो कि एक लघु काश्तकार है थोडी सी भूमि है उसकी भूमि रास्ते में चली जायेगी। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 24.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट की ओर से तहसीलदार रावला द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

एवं निवेदन किया गया कि उपरोक्त रकबा प.नं. 219/35 के किला नं. 21 व 22 में रास्ता चालू नहीं है एवं मौका पर सरसों की फसल काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है।

तत्पश्चात् प्रार्थीगण किरण देवी, कौशल्या देवी, विजयपाल, सुनीता द्वारा दिनांक 12.07.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर प्रार्थीगण पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमाये जावें। प्रति वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को बतौर प्रार्थी संख्या 3 ता 6 पक्षकार संयोजित किया गया।

वकील उभयपक्ष द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने एवं अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि पूर्व में इसी न्यायालय से एक रास्ता इसी चक के उक्त रकबा व अन्य रकबा में स्वीकृत किया गया था एवं आदेश होने के बाद में प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रकबा में स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त करने का निवेदन किया एवं न्यायालय द्वारा उस आदेश को संशोधित करते हुए पुनः आदेश पारित किया गया। अब प्रार्थीगण द्वारा पुनः उसी रास्ता को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण छोटे काश्तकार हैं व उक्त रास्ता स्वीकृत किए जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण की भूमि कम रह जायेगी। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण को उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने – जाने के लिए एवं कृषि कार्यों के लिए उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अप्रार्थीगण छोटे काश्तकार हैं तो रास्ते की एवज में भूमि दिए जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि की भरपाई हो सकती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसील रावला के चक 24 आरजेडी के प.नं. 219/35 मु.नं. 34 में किला नं. 21, 22 में 2–2 बिस्वा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण की भूमि के चिपती हुई भूमि दिए जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना